पंचदश

बिहार विधान-सभा

अष्टम् सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग–4

वृहस्पतिवार, तिथि 02 फाल्गुन, 1934 (श0) / 21 फरवरी, 2013 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 05

(1)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	01
(2)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	02
(3)	कृषि विभाग	01
(4)	सहकारिता विभाग	01
	कुल योग ..	05

भूमि उपलब्ध कराना

8. श्री मंजीत कुमार सिंह—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार महादलित विकास योजना अन्तर्गत वासरहित भूमि महादलित परिवारों को बिहार के 38 जिलों में भूमि क्रय कर उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2011–12 में 32 करोड़ 86 लाख रुपये के विरुद्ध 13 करोड़ 90 लाख 9 हजार 872 रुपये ही व्यय की गई ;

(2) क्या यह बात सही है कि अबतक 22 हजार 729 वासरहित महादलित परिवारों को भूमि खरीदने हेतु राशि उपलब्ध नही कराई गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार वासरहित भूमि महादलित परिवारों को कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

पदाधिकारी पर कार्रवाई

9. श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी—दिनाक 25 दिसम्बर, 2012 को पटना से प्रकाशित दैनिक समाचार–पत्र में छपे शीर्षक "लाखों टन धान, चावल गोदामों में सड़ता रहा" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि खरीफ विपणन मौसम 2011–12 में सरकार ने 30 लाख मिट्रिक टन धान तथा 12 लाख मिट्रिक टन गेहूँ खरीदने का लक्ष्य तय किया, जिसमें से मात्र 22.5 लाख मिट्रिक टन धान तथा मात्र 5.25 लाख मिट्रिक टन गेहूँ की ही खरीदारी हुई ;

(2) क्या यह बात सही है कि क्रय किये गये 22.5 लाख मिट्रिक टन धान एवं गेहूँ में से आधा भी राज्य खाद्य निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम को नहीं प्राप्त कराया गया और ये अनाज पैक्सों तथा राज्य खाद्य निगम के गोदामों में सड़ रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो लक्ष्य से कम अनाज क्रय करने क्रय किये गये अनाज को भारतीय खाद्य निगम को पूरा का पूरा नहीं उपलब्ध कराने तथा लाखों मिट्रिक टन इन अनाजों को पैक्सों तथा गोदामों में सड़ाने के लिए कौन–कौन पदाधिकारी दोषी हैं तथा सरकार उनपर कौन–सी कार्रवाई करना चाहती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

वितरण करना

10. श्री तार किशोर प्रसाद—दैनिक समाचार–पत्र में दिनांक 15 सितम्बर, 2012 को प्रकाशित शीर्षक "छः दशक बाद भी नहीं मुक्त हुई आधी जमीन" के आलोक में क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भूदान में हासिल 6.48 लाख एकड़ जमीन में से अबतक सिर्फ 2 लाख 56 हजार एकड़ जमीन का ही वितरण हो पाया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार ने 31 मार्च, 2010 तक एक लाख एकड़ जमीन वितरण का लक्ष्य तय किया था, लेकिन चार वर्षों में छः हजार एकड़ जमीन ही वितरित हो पायी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार भूदान से प्राप्त जमीन को चालू वित्तीय वर्ष में भूमिहीनों के बीच वितरण करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

फसल की बीमा

11. श्री अख्तरूल ईमान—दिनांक 1 जनवरी, 2013 को स्थानीय समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक "लाखों किसान फसल बीमा से होंगे वंचित" के आलोक में क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मौसम आधारित फसल यथा गेहूँ, मक्का, सरसों, आलू, लीची, केला इत्यादि की बीमा कराने के लिए सहकारिता विभाग ने 28 दिसम्बर, 2012 को सूचना प्रकाशित कर 31 दिसम्बर, 2012 तक बीमा करा लेने का निदेश गैर-ऋणी किसानों को दिया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि फसल बीमा के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाने के कारण लाखों किसान अपनी फसल का बीमा नहीं करा सके हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बीमा कराने के लिए समय बढ़ाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

12. डॉ0 अच्युतानन्द—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2011-12 में राज्य को 10 लाख टन यूरिया की आवश्यकता के विरुद्ध मात्र 7 लाख नौ हजार टन यूरिया ही केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि यूरिया की कम उपलब्धता के कारण राज्य के किसानों को कृषि कार्य में भारी कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

पटना :
दिनांक 21 फरवरी, 2013 (ई0)।

फूल इा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा।

बि0स0मु0 (एल0ए0), 206-डी0टी0पी0-450